वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 04.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 04.11.2024

आराजी नंबर 394 वीडीए की जमीन, नहीं खरीदें प्लाट

जागरण संवाददाता, वाराणसी : लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण में वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से अर्जित की गई जमीन पर गलत तरीके से तहसील में नाम चढ़ाकर प्लाटिंग करने पर मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने रोक लगा दी है। मंडलायुक्त ने आराजी नंबर 394 पर खरीद-फरोख्त पर रोक लगाते हुए वीडीए को जमीन पर कब्जा लेने का निर्देश दिया है। वहीं, तहसील सदर को निर्देश दिया है कि आराजी नंबर 394 पर किसी प्रकार का नामांतरण या दाखिल-खारिज नहीं किया जाए। वीडीए अधिवक्ता राजीव कुमार पांडेय ने मंडलायुक्त कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा था।

राजीव पांडेय •

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण में वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से अर्जित की गई जमीन थी। डिप्टी कलेक्टर (माल) के यहां से 14 सितंबर-2016 को आदेश करा लिया था। औसानगंज के रहने वाले राज साहू पुत्र रूपचंद्र साहू तहसील में अपना नाम चढ़वाकर जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। वीडीए की राजस्व टीम ने अवैध प्लाटिंग का विरोध करने के साथ जिला प्रशासन के यहां आपत्ति जताई। मामला मंडलायुक्त कोर्ट में पहुंच गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंडलायुक्त न्यायालय ने 19 अक्टूबर-2024 को वीडीए के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आराजी नंबर 394 पर किसी प्रकार का नामांतरण या दाखिल-खारिज व क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है।

दैनिक जागरण –दि0 04.11.2024

आइआइटी ने लिए मिट्टी के पांच नमूने

जेपी पांडेय • जागरण

वाराणसी : मोहनसराय में बसाया जा रहा ट्रांसपोर्ट नगर वाराणसी विकास प्राधिकरण का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ उसकी गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं उठे इसको लेकर बीएचयू आइआइटी से वीडीए ने एमओयू किया है। सड़क बनाने से पहले आइआइटी ने ट्रांसपोर्ट नगर में पांच स्थानों पर जमीन की स्वायल टेस्टिंग करने के लिए पांच स्थानों से मिट्टी ली है। रिपोर्ट आने के बाद ही वीडीए सड़क बनाने का काम शुरू करेगा। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मिट्टी कितने वजन तक लोड ले सकती है। हालांकि, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने 50 टन तक लोड लेने वाली सड़क बनाने की सलाह दी है।

आइआइटी बीएचयू बनाए गए ड्राइंग को देखने के साथ ट्रांसपोर्टरों की सुविधा को भी देखेगा। 25 वर्ष तक सड़क खराब नहीं हो इसके लिए विशेष सुझाव देगा। सीवर लाइन डालने के साथ वीडीए सड़क पर मिट्टी डाल चुकी है। हालांकि कई स्थानों पर मिट्टी डालने का काम बाकी है। विकास प्राधिकरण ने 82 हेक्टेयर में ट्रांसपोर्टर नगर योजना बनाई है। इसमें वीडीए को 48 हेक्टेयर जमीन मिलने के साथ रेरा से अनुमति मिल गई है। शेष 34 हेक्टेयर जमीन अभी वाराणसी विकास प्राधिकरण को किसानों से खरीदनी है। जिला प्रशासन से अवार्ड (अधिनिर्णय यानि अधिग्रहण का आदेश) घोषित होने पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने विकास प्राधिकरण से मांगे गए 194 करोड़ रुपये में से 40 करोड़ दे दिया है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना

- 1998 में बना प्रस्ताव
- 18 दिसंबर 2000 को जमीन अधिग्रहण को गजट
- परियोजना की लागत 82 करोड़
- 37 करोड़ में खरीदी गई जमीन
- 1194 किसानों की ली गई जमीन
- 48 हेक्टेयर जमीन हुई अधिग्रहित
- 34.41 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में ले चुके हैं 771 किसान।
- शेष 34 हेक्टेयर जमीन का होना है अधिग्रहण
- शेष जमीन को 194 करोड़ जिला प्रशासन ने मांगे
- वीडीए ने 40 करोड़ जमीन अधिग्रहण को दिया।

- रामकटोरा, लहरतारा समेत अन्य स्थानों के ट्रांसपोर्टरों को बसाने की योजना
- 48 हेक्टेयर जमीन पर चल रहा सड़क, सीवर, पेयजल और बिजली का काम

"ट्रांसपोर्ट नगर में 48 हेक्टेयर जमीन पर सड़क, सीवर, नाली, बिजली आदि विकास कार्य कराए जा रहे हैं। गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं उठे, इसको लेकर बीएचयू आइआइटी से एमओयू किया गया है। मिट्टी की स्वायल टेस्टिंग कराई जा रही है। रिपोर्ट आने पर सड़क का काम शुरू होगा।
-अजय पवार, अधीक्षण अभियंता, वाराणसी विकास प्राधिकरण।